

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

6.11.2020

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उपस्थित  
नहीं थे वकील शर्मा ने न्यायालय से 3  
बार आवाजें लगवायी गई। व बाद में  
बार-बार आवाजें लगवायी गई। किन्तु  
शर्मा एवं वकील शर्मा उपस्थित नहीं हुए।  
अतः अर्पना पत्र अदम टाजरी अदम चंखी  
में खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया  
गया। पत्रावली बाद तकमील कारखिल  
दफ्तर है।

उपलब्ध अधिकारी  
नैनबाँ (पुन्दी)

